



भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ

Ministry of Environment, Forest & Climate Change  
Integrated Regional Office, Lucknow

केन्द्रीय भवन, पचम लाल सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ 226024  
Kendriya Bhawan, 5<sup>th</sup> Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696  
Email: roez.lko-mefcc@nic.in



पत्र सं0 8बी/यू०पी०/04/32/2022/एफ०सी०/१५—

दिनांक : 08.04.2022

सेवा में

अतिरिक्त मुख्य सचिव,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
बापू भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

ONLINE PROPOSAL NO: FP/UP/Trans/41830/2019

विषय : जनपद सोनभद्र के रेनकूट वन प्रभाग में रेनुसागर से हिण्डालकों संस्थान तक 132 केवी० विद्युत ट्रान्समिशन लाईन के निर्माण हेतु मेसर्स हिण्डालकों इण्डस्ट्रीज लि�० को 25 वर्षों (दिनांक 15.10.1996 से 14.10.2021 तक) हेतु लीज पर हस्तान्तरित 52.9666 हेतु वनभूमि के लीज को आगामी 25 वर्षों (दिनांक 15.10.2021 से 14.10.2046 तक) हेतु नवीनीकरण किए जाने के सम्बंध में।

सन्दर्भः— सचिव(वन), उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक संख्या पी-377/81-2-2021-800(330)/2021, लखनऊ, दिनांक—11.02.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषय का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मौंगी है।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न विन्दुओं पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके—

1. As per the DSS and SOI toposheet of the proposed diversion area, some forest area patches have been demarcated as Non-forest land. The .kml file of the proposed diversion route, this needs to rectification/clarification.
2. As per the .kml file, the proposed diversion route has been suddenly ended at a point, this needs clarification.
3. Geo referenced map of the proposed diversion area is not clearly visible (point id). this needs rectification/clarification.
4. The NET suitable area for plantation as per GIS-DSS analysis is 95.95 ha., which is less than the actual required area.
5. As per the Google Earth imageries dated 16-11-2018, partially plantation activity has been observed on proposed CA land area.
6. Revised NPV calculation needs to be furnished by User agency as per MoEF&CC letters dated 06-01-2022 & 19-01-2022.
7. Revised Cost benefit analysis has to be provided.
8. Dwarf plantation needs to be proposed elsewhere in some forest area, accordingly scheme needs to be submitted.

भवदीया,

(डॉ प्राची गंगवर)  
उप वन महानिरीक्षक [केन्द्रीय]

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

- प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
- मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
- प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट।
- श्री विवेक कुमार, हेड लीगल, मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

उप वन महानिरीक्षक [केन्द्रीय]  
(डॉ प्राची गगवार)  
०५.०५.२०२२

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक- २९०३ /११-सी-FP/UP/Trans/41830/2019, लखनऊ, दिनांक: अप्रैल ११, २०२२

प्रतिलिपि— मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि— प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि— श्री विवेक कुमार, हेड लीगल, मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0, रेनुकूट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अनुपम गुप्ता  
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ0प्र0, लखनऊ।